न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–285/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/285

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

अपीलाण्ट :–

1. महिपालसिंह पुत्र मानसिंहजी जाति चारण आयु 43 वर्ष निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
2. राजुराम पुत्र भानारामजी जाति मेघवाल आयु 47 वर्ष निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
3. बाबुलाल पुत्र ताजारामजी जाति मेघवाल आयु 43 वर्ष निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
4. भीखाराम पुत्र अनारामजी जाति मेघवाल आयु 62 वर्ष निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।

रेस्पोडेन्ट :–

1. रमजान खांन पुत्र युशुफ खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
2. ईशाक खान पुत्र ताजु खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
3. रहमान खांन पुत्र भच्चाया खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।

5. मठार खांन पुत्र जमार खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
6. आदम खांन पुत्र सुमेर खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
7. वाली खांन पुत्र तमासी खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)।
8. नथु खांन पुत्र आदम खांन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निवासी अगडावा तहसील चितलवाना जिला सांचौर (राज.)। गिखाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना के प्रकरण संख्या 3/2023

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

:: निर्णय ::

दिनांकः—

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 3/2023 में निर्णय दिनांक 05.03.2024 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स बावजुद नोटिस/सम्मन तामिल के न्यायालय में वकालतन एवं असालतन न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

3. बहस वकील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम अगड़ावा पटवार हल्का सेसावा भू.अभि.नि. केरीया तहसील चितलवाना की सरहद में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार आराजी खसरा संख्या 685/1511 रकबा 5.09 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसकी किस्म राजस्व रेकर्ड गै.मु शमशान दर्ज है। लेकिन रेस्पोडेन्टगण ने माननीय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के समक्ष सही तथ्य पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र इस बाबत् का पेश किया कि खसरा संख्या 685/1511 की भूमि कब्रिस्तान है। जबकि उक्त भूमि न तो कभी कब्रिस्तान रही है। तहसीलदार द्वारा भी एक विशेष समाज के वर्ग को राजनैतिक फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से मौका फर्द में मेघवाल समाज व जोगी समाज में जमीन में दफनाने की प्रथा है उक्त भूमि को विशेष वर्ग को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से दिनांक 30.05.2023 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय चितलवाना ने एक मौका फर्द विशेष वर्ग को साथ लेकर के उनके हस्ताक्षर करवाकर माननीय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश की हैं उसमें भी तहसीलदार महोदय ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि मौके पर कब्र जैसे आलामात है जबकि उक्त जगह कब्रिस्तान नही होकर शमशान घाट है व जोगी समाज तथा मेघवाल समाज में भी दफनाने की प्रथा है। इस कारण जोगी व मेघवाल समाज की जमीन में एक झूठी मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विशेष वर्ग के हस्ताक्षर करवा करके उक्त शमशान को कब्रिस्तान बनाने का प्रयास किया है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि मुस्लिम वर्ग के लिए पूर्व में मौजा ग्राम अगड़ावा की सरहद में खसरा संख्या 400, 401, 620, 621, 624, 625, 1288/1515, 1289/1510, 1290 1290/1504, 1294, 1295, 1297, 1299, 1299/1498, 1300, 1300/1499, 1215/1496 में 1316 के खसरान की भूमि स्पष्ट रूप से राजस्व रेकर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है उसका किसी भी प्रकार से मातहत न्यायालय द्वारा स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया एवं न ही मातहत न्यायालय के समक्ष तहसीलदार चितलवाना द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में उक्त खसरा बाबत् कोई तथ्य अंकित किया है। उपरोक्त वर्णित कोई भी खसरा जल भराव क्षेत्र में है या नहीं उसकी कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि राजस्व रेकर्ड में स्पष्ट [illegible] हुआ है और तहसीलदार द्वारा एक विशेष वर्ग को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य [illegible] छापकर एक मौका फर्द मातहत न्यायालय के समक्ष पेश की है। [illegible] दर्ज है। सभी खसरो में किसी भी प्रकार से कोई भी जल भराव नहीं [illegible] है न ही मातहत न्यायालय द्वारा पंचायत या पटवारी से कब्रिस्तान होने या न होने बाबत रिपोर्ट नहीं मंगवायी गई है। जहां तहसीलदार रिपोर्ट में यह अवगत कराया है कि भूमि [illegible] भराव क्षेत्र में है वहां किसी भी प्रकार का वर्षा ऋतु में जल भराव नहीं होता है तथा आस पडौस में भी ढाणियों में लोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निवास कर रहे है। मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट व पूर्व में कब्रिस्तान के रूप में आवंटन होने पर भी मातहत न्यायालय द्वारा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में जो आदेश पारित किया है वो विधि सम्मत नहीं होने से काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 658/1511 रकबा 5.09 हेक्टेयर, खसरा संख्या 727 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 728 रकबा 0.36 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गैर मुमकीन शमशान में रूप में दर्ज है एवं हिन्दू परम्परा व विधान अनुसार तथा सामाजिक रिति रिवाज अनुसार जहां पर शवो का अन्तिम संस्कार किया जाता है उस भूमि को शमशान के रूप में सम्बोधित किया जाता है जबकि मुस्लिम समुदाय में उक्त भूमि को कब्रिस्तान के रूप में सम्बोधित किया जाता है। रेस्पोडेन्टगण ने विधि सम्मत प्रार्थना(पत्र मातहत न्यायालय में पेश नहीं किया है। रेस्पोडेन्टगण के समाज की भूमि कब्रिस्तान के रूप में पूर्व में ही मौजा अगडावा में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं जवकि खसरा संख्या 685/1511 की भूमि हिन्दू शमशान है उक्त भूमि गांव के समीप होने से तथा भूमि का रकबा खाली होने से मुस्लिम वर्ग हमेशा ही हिन्दुओं के खिलाफ उक्त भूमि को लेकर रहा है एवं भूमि लेने के पूर्व में भी काफी प्रयास किये थे। पूर्व में कब्रिस्तान के रूप में राजस्व रेकर्ड में भूमि मुस्लिम वर्ग को आवंटन की हुई है जो स्पष्ट रूप से रेकर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। अगर विशेष वर्ग को कब्रिस्तान भूमि की और आवश्यकता है तो श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय सांचौर के समक्ष आवंटन करके भूमि प्राप्त करने का अधिकार बनता है। मातहत न्यायालय के समक्ष जो रेस्पोडेन्ट ने शुद्धिकरण व तथ्य की भूल एवं लिपिकीय भूल बताकर धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पक्ष में निर्णय पारित करवाया है जबकि उक्त भूमि भू–प्रबंधन के समय से ही शमशान के रूप में उपयोग हो रही है जिस पर मुस्लिम समाज का कोई भी हक अधिकार नहीं है एवं न ही मातहत न्यायालय को उक्त निर्णय पारित करने का हक अधिकार है। दस्तावेजी साक्ष्य से कहीं भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसी लिपिकीय भूल के कारण कब्रिस्तान की भूमि को शमशान दर्ज किया गया है। जबकि रेकर्ड में सेटलमेन्ट के समय शमशान की भूमि भी मुस्लिम समाज को आवंटन की हुई है जो रेकर्ड से स्पष्ट है। उक्त तथ्यों को मातहत न्यायालय द्वारा दरकिनार कर आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से काबिले खारिज है ।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा न तो मातहत न्यायालय के समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र में किसी हिन्दू को पक्षकार बनाया है और न ही मातहत न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत या अन्य निकाय से कोई जवाब लिया हो एवं न ही गांव के लोगो को या गांव के चौराहे पर किसी भी प्रकार से नोटिस चस्पा कर अवगत करवाया है। मात्र मेल मिलाप कर लिपिकीय भूल बताकर रेकर्ड को दरकिनार कर एक विशेष वर्ग को राजनैतिक फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से पहले से ही मौजूद कब्रिस्तान की भूमि होने के उपरान्त भी उसकी किसी भी प्रकार से कोई जाँच नहीं कर हिन्दू शमशान की भूमि को अनवानी प्रार्थना पत्र के द्वारा निर्णय पारित कर वाक्याती व भारी कानूनी वाक्याती भूल की है जो अपास्त करने योग्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दोनों वर्गो में भारी रोष व्याप्त हो जायेगा और मुस्लिम वर्ग कब्रिस्तान होने के उपरान्त भी शमशान की भूमि को हडप करने का प्रयास करेंगे। मातहत न्यायालय द्वारा दस्तावेजो की जाँच भी नहीं की और एक लिपिकीय भूल मान निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि मातहत न्यायालय द्वारा जारी आदेश विधि सम्मत नहीं होने से काबिले खारिज है मातहत न्यायालय को किस्म परिवर्तन करने का कोई भी क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है एवं न ही कब्रिस्तान आवंटन करने का मातहत न्यायालय को हक अधिकार प्राप्त है। अगर रेस्पो. को रेकर्ड में शमशान की जगह कब्रिस्तान विधि विरुद्ध तरीके से भी दर्ज करवाना था तो भी श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय या तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भिजवाना आवश्यक था। अनवानी प्रार्थना पत्र के जरिये किसी भी प्रकार से कब्रिस्तान का आवंटन या किस्म परिवर्तन करने का मातहत न्यायालय को कानूनन हक अधिकार प्राप्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

है। मातहत न्यायालय ने दस्तावेजो पर अवलोकन भी नहीं किया है और निर्णय पारित किया है जो धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के विपरित होने से काबिले खारिज है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण हिन्दू वर्ग से शासित होते हैं तथा अगड़ावा के ही स्थायी निवासी हैं इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। मातहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2024 की जानकारी चितलवाना जाने पर हुई कि मुस्लिम वर्ग द्वारा एक विधि विरूद्ध निर्णय करवाया गया है तब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के समक्ष जाकर पत्रावली की जानकारी ली एवं नकल प्राप्त की जो दिनांक 01.05.2024 को अपीलान्टगण महिपालसिंह को प्राप्त हुई है। लेकिन बिमार होने की वजह से माननीय न्यायालय के समक्ष अपील समयावधि में माकूल कारण होने से ही पेश नहीं कर सके जिसमें अपीलान्टगण की कोई लापरवाही या बदनियति नहीं रही हैं माननीय न्यायालय के समक्ष इस हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम बावत का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है।

हमने अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया। बाद अवलोकन तथा प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक नही सुना गया है। अपीलाण्ट का मौका कब्जा था, इस प्रकार अपीलाण्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुना जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को पक्षकार भी नही बनाया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना के प्रकरण संख्या 3/2023 दिनांक 05.03.2024 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करे तथा वादग्रस्त आराजी के मौका स्थिति, राजस्व रिकोर्ड एवं सभी तथ्यों पर समुचित विचार कर नियमो के आलोक में पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति की पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23/9/2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner